



2026:AHC-LKO:21923

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 528 भा.ना.सु.सं.- सं. 1204/2026

अनूप @ विनोद

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ एवं 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : आरिफ हुसैन

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शा.अ., शरद कुमार चतुर्वेदी

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह

1. विपक्षी संख्या 2 और 3 की ओर से अधिवक्ता श्री शाहनवाज़ खान द्वारा दायर वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ., तथा विपक्षी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री शाहनवाज़ खान को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान प्रार्थना पत्र धारा 482 दं.प्र.सं. (अब धारा 528 भा.ना.सु.सं.) के तहत दायर किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई मुकदमा संख्या 02/2026 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को अपास्त करने की प्रार्थना की गई है। यह कार्यवाही मुकदमा अपराध संख्या 341/2025 से उत्पन्न, दिनांक 25/11/2025 के विवादित आरोप पत्र संख्या 01 के अनुसरण में शुरू की गई थी। यह मामला भा.न्या.सं. की धाराओं 352, 351(3), 64(1) (जिनकी समतुल्य धाराएँ भा.दं.सं. की 504, 506, 376 हैं) और लैं.अ.बा.सं. अधिनियम की धारा 3/4 के तहत, थाना - सफीपुर, जिला - उन्नाव में दर्ज है। इसके साथ ही, उक्त मामले में दिनांक 01.01.2026 को पारित आक्षेपित संज्ञान और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समन आदेश को भी अपास्त करने की प्रार्थना की गई है; यह मामला वर्तमान में विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश, उन्नाव की अदालत के समक्ष लंबित है और इसमें 'समझौते' को आधार बनाया गया है।

4. प्रार्थी के अधिवक्ता का सबसे पहला और मुख्य निवेदन यह है कि कथित पीड़िता की उम्र 18 साल से ज़्यादा थी, क्योंकि अंकपत्र के अनुसार कथित पीड़िता की जन्मतिथि 27.07.2007 थी और घटना की तारीख 03.08.2025 है; इसलिए, प्रार्थी पर लैं.अ.बा.सं.अधि. के तहत गलत तरीके से आरोप लगाया गया है। अगला निवेदन यह है कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है, और उसके बाद दोनों पक्ष साथ बैठे और उन्होंने आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लिया, जिसे 26.09.2025 को लिखित रूप में निष्पादित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद प्रार्थी ने परीक्षण न्यायालय को समझौता-पत्र की पुष्टि करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया, और 17.02.2026 के आदेश के अनुपालन में, सत्यापन किया गया और 24.02.2026 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय में सत्यापन आख्या दाखिल कर दी गई है। उनका निवेदन है कि इस मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी, और इसलिए मुकदमा अपराध संख्या 341/2025 से जुड़ी यह आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है।
5. विपक्षी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है तथा विपक्षी संख्या 2 और 3 को कोई शिकायत नहीं है; अतः, प्रार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।
6. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता को उपर्युक्त कथन पर कोई आपत्ति नहीं है।
7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए, मैं यह पाता हूँ कि पक्षों के बीच दिनांक 26.09.2025 को एक समझौता हुआ था, और उक्त समझौते का सत्यापन दिनांक 24.02.2026 को किया गया था; और अब, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बयान के



अनुसार, वे मुकदमा अपराध संख्या 341/2025 से संबंधित उपर्युक्त आपराधिक मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

8. उपरोक्त को देखते हुए, चूंकि प्रार्थी और विपक्षी ने 26.09.2025 को आपस में समझौता कर लिया है और अब आगे कोई शिकायत बाकी नहीं रह गई है, इसलिए उपरोक्त आपराधिक मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाना उचित है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' (2003)4 एस.सी.सी. 675; 'निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो' (2008)9 एस.सी.सी. 677; 'मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य' (2008) 16 एस.सी.सी. 1; 'ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य' (2012) 10 एस.सी.सी. 303; और 'नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य' (2014) 6 एस.सी.सी. 466 मामलों में दिए गए निर्णयों के आलोक में लिया गया है।
9. तदनुसार, प्रार्थी के विरुद्ध मुकदमा संख्या 02/2026 के संबंध में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही—जो मुकदमा अपराध संख्या 341/2025 से उत्पन्न दिनांक 25/11/2025 के आक्षेपित आरोप पत्र संख्या 01 के अनुसरण में, भा.न्या.सं. की धारा 352, 351(3), 64(1) (जिनकी समतुल्य धाराएँ भा.दं.सं. की 504, 506, 376 हैं) और लैं.अ.बा.स. अधिनियम की धारा 3/4 के तहत, थाना - सफीपुर, जिला- उन्नाव में दर्ज है—तथा उक्त मामले में दिनांक 01.01.2026 को पारित आक्षेपित संज्ञान और समन आदेश, एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।
10. समझौता इस आदेश का हिस्सा होगा।
11. तदनुसार, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
12. अभिलेख में दर्ज हो।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

26 मार्च, 2026

राज